

अनुमति की शर्तें ।

- (a) उक्त भवन - पूरापूर के विभाग की स्वीकृत स्थापित विद्या नहीं बननी है ।
- (b) किसी भी प्रकार के प्रकार (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतम या अन्य) को जो किसी भी विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा भवन में जो विभाग किसी स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) उक्त भवन को प्रारंभ करने से आगे तक विभाग को सुविधा होगी ।
- (d) स्वीकृत भवन को विभागीय निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल लिडली केवल अत्याधुनिक उद्योगकार

नगरपालिका नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 463 दिनांक 20/01/2020

प्राथमिक उद्योगी इमारत का जमीन का मालिक दाम

न राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (ग) के तहत आवसीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- जमा

जायते रसीद संख्या 2069/234, 235

दिनांक 20/01/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 9/39 चौपालकी इडमिनि बोर्ड

जी+1  
आत्याधुनिक

27/1/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Sandil  
27/1/20  
9413247650

GOVIND LAL  
NOTARY JODHPUR

Esc